भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 2916

उत्तर देने की तारीख : 06.08.2025

प्रधानमंत्री-विकास योजना

2916. डॉ. कल्याण वैजीनाथराव काले:

श्री बैन्नी बेहनन:

श्री जयन्त बसुमतारी:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री-विकास योजना की शुरुआत से लेकर अब तक, समुदाय और राज्य-वार, विशेष रूप से बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र सहित पूर्वोत्तर राज्यों में, लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण मॉड्यूल, वित्तीय सहायता और विपणन सहायता क्या है;

(ग) क्या रोजगार और आय वृद्धि पर इसके प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई मूल्यांकन या फीडबैक तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) अल्पसंख्यक बहुल जिलों में स्थानीय हस्तशिल्प समूहों और एमएसएमई के साथ प्रधानमंत्री-विकास को एकीकृत करने की सरकार की रणनीति का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (घ): प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पांच पूर्ववर्ती योजनाओं अर्थात 'सीखो और कमाओ', 'नई मंजिल', 'नई रोशनी', 'उस्ताद' और 'हमारी धरोहर' जैसी योजनाओं को एकीकृत करती है और छह अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के उत्थान पर निम्नानुसार ध्यान केंद्रित करती हैं:

(i) कौशल और प्रशिक्षण (गैर-पारंपरिक और पारंपरिक)
(ii) महिला नेतृत्व और उद्यमशीलता
(iii) शिक्षा (राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान के माध्यम से)
(iv) बुनियादी ढांचा विकास (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के माध्यम से)

इस योजना में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा प्रदत्त ऋण कार्यक्रमों से लाभार्थियों को जोड़कर ऋण लिंकेज की सुविधा प्रदान करने का भी प्रावधान है। इस योजना के सभी

लाभार्थियों को प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वजीफा दिए जाने का भी प्रावधान है।

इसके अलावा, पारंपरिक कारीगरों/मास्टर शिल्पकारों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण निम्नलिखित तीन माध्यमों से किया जाता है:-

क) आवश्यकता-आधारित कला/शिल्प संबंधी रोजगार भूमिकाओं में एनएसक्यूएफ-संरेखित प्रशिक्षण;

ख) स्थानीय समुदायों के बाजार संपर्क और आजीविका में सुधार के लिए अनुकूलित कार्यशालाएँ;

ग) अमूर्त सांस्कृतिक विरासत (आईसीएच) सहित पारंपरिक और लुप्त होती कला और शिल्प रूपों की सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण।

इस योजना के अंतर्गत परियोजनाएँ, कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) को आवंटित की जाती हैं, इसलिए लाभार्थियों का राज्यवार/समुदायवार डेटा उपलब्ध नहीं है। हालाँकि, मंत्रालय ने हाल ही में, इस योजना के अंतर्गत, पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित संस्थानों, जैसे राज्य होटल प्रबंधन संस्थान (एसआईएचएम), त्रिपुरा; उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड (एनईआरएएमएसी); और नागालैंड टूल रूम एवं प्रशिक्षण केंद्र (एनटीटीसी), दीमापुर, नागालैंड को परियोजनाएँ आवंटित की हैं।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री विकास योजना के अंतर्गत, मंत्रालय 'लोक संवर्धन पर्व' का आयोजन करता है जो कारीगरों को उनकी स्वदेशी कला, शिल्प और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। यह आयोजन न केवल अल्पसंख्यक समुदायों की परंपराओं का प्रचार करने के लिए, बल्कि कारीगरों के लिए एक नवोन्मेषी और उद्यमशील वातावरण को बढ़ावा देने के लिए भी आयोजित किया गया है। विपणन, निर्यात एवं ऑनलाइन व्यापार, डिज़ाइन, जीएसटी और बिक्री आदि क्षेत्रों में कारीगरों के कौशल को बढ़ाने के लिए, मंत्रालय द्वारा हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच) के सहयोग से कार्यशालाएँ आयोजित की जाती है, जिससे उनकी प्रतिभा को सशक्त बनाने और उनकी आय बढ़ाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित होता है। अब तक, मंत्रालय ने निम्नलिखित 04 लोक संवर्धन पर्व आयोजित किए हैं:

क. जुलाई, 2024 को दिल्ली हाट, आईएनए, नई दिल्ली में
ख. जनवरी, 2025 को बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली में
ग. अप्रैल, 2025 को कॉन्वोकेशन ग्राउंड, कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में
घ. जून, 2025 को गांधी दर्शन, राजघाट, नई दिल्ली में

प्रधानमंत्री विकास एक ऐसी योजना है जिसे हाल ही में शुरू किया गया है और विभिन्न आवंटित परियोजनाओं का कार्यान्वयन अभी प्रारंभिक चरण में है। इसलिए, अभी तक इन परियोजनाओं का कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है या फीडबैक नहीं लिया गया है।

*****